



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U. P. Power Corporation Ltd.

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

संख्या 4161-अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2009

दिनांक 12 अगस्त, 2009

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा याचिका संख्या-536(एस बी)/2009 श्री महेन्द्र सिंह सेंगर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 एवं अन्य में दिनांक 13.05.2009 को पारित अन्तरिम आदेशों तथा अवमानना नोटिस संख्या-1326(सी)/2009 के अनुपालन में यथाउल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ताओं (वै0 एवं या0) को मुख्य अभियन्ता, (स्तर-2) (वै0 एवं या0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (वै0 एवं या0) के पद पर नियुक्त तथा मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के पद पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है -

क्र0 सं0	नाम, गृह जनपद (सेवा निवृत्ति की तिथि)	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रेन्नति पर प्रस्तावित तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री नरेश चन्द्र मित्तल, (73109) मेरठ 28.02.2010	अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), बरेली क्षेत्र	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण) आजमगढ क्षेत्र
2.	श्री विजय कुमार गुप्ता, (73113), बिजनौर 30.04.2010	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, मेरठ	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता सम्बद्ध प्रब0निदे0 मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ
3.	श्री दिनेश चन्द्र जैन (73133) मुजफ्फरनगर 30.04.2012	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध प्रब0निदे0 पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0 मेरठ	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता पारेषण पश्चिम, मेरठ
4.	श्री अशोक कुमार (73131) बुलन्दशहर 30.04.2010	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल-प्रथम, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता (स्तर2) एवं मुख्य अभियन्ता, पारेषण मध्य, लखनऊ
5.	श्री ओम प्रकाश जैन (74240) बागपत 30.11.2011	अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण) आगरा	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण) आगरा क्षेत्र

2. उपर्युक्त प्रोन्नति के आदेश उक्त संदर्भित याचिका संख्या 536(एसबी)/2009 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा पारित अन्तिम निर्णयों के प्रतिबन्धाधीन है तथा मा0 न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय होगा इन पर लागू होंगे ।
3. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित आदेशों के अनुरूप है ।
4. उपर्युक्त प्रोन्नत/स्थानान्तरित अधिकारियों को स्थानीय व्यवस्था द्वारा कार्यभार से तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय ।
5. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि कार्यमुक्त होने की तिथि को आदेश संख्या-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का स्वांकन/अंकन सुनिश्चित करता है ।

नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

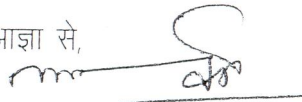
संख्या 4161(1)अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2009 तद दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित-

1. सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/कैस्को, कानपुर ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-1/स्तर-2, उ0प्र0पा0का0लि0./ट्रांसको
5. समस्त संयुक्त सचिव, पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ ।
6. उपमहाप्रबन्धक, (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ ।
7. अधिशासी अभियन्ता, (वेब) क0नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ ।
8. अनुसचिव (गोपन), पाकालि मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ ।
9. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल ।

आज्ञा से,



(रमेन्द्र नाथ वर्मा)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)